समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 02-01-2017 को मानव श्रृंखला पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को 21 जनवरी 2017 को आयोजित होने वाले मानव श्रृखंला हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

प्रत्येक किलोमीटर पर एक सेक्टर समिति गठित की जाए, जिसमें वार्ड सदस्य, टोला सेवक, पी0डी0एस0 डीलर, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका, तालिमी मरकज के कर्मी, सड़क के दोनों ओर 2 किलोमीटर में पड़ने वाले सरकारी एवं निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जीविका की दीदी आदि को सम्मिलित किया जाए। इनके द्वारा प्रत्येक किलोमीटर में मानव श्रृंखला में उपस्थित रहने वाले लोगों की सूची अपने-अपने ओर से तैयार कर समर्पित की जाएगी और उसको समेकित कर एक सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक किलोमीटर के लिए न्युनतम 1500 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इस हिसाब से सूची तैयार की जाएगी। अगर इस किलोमीटर के आगे-पीछे आबादी उपलब्ध न हो तो, उस किलोमीटर के लिए भी आंशिक रूप से व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी, इस श्रृंखला में पांचवे कक्षा से ऊपर के बच्चे भी उपस्थित रहेंगे।

(3) समिति का गठन :-

बैठक में बताया गया कि चार स्तरों पर समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :-

(i) पंचायत स्तर पर गठित समिति :- पंचायत स्तरीय समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि मानव श्रृंखला के मार्ग में उस पंचायत के अधीन सभी किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त हो। किसी किलोमीटर में कमी होने पर अन्य किलोमीटर से इसकी भरपाई की जाएगी एवं सभी सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभुक एवं कर्मी निश्चित रूप से भाग लेंगे।

सभी प्र0वि0पदा0 /अं0अ0 को पंचायत स्तर पर समिति गठित करने, जिसमें पी0आर0एस0, पंचायत सेवक, मुखिया, सरपंच, इंदिरा आवास सहायक, कोसी पुनर्वास सहायक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, जीविका सी0एल0जी0, पुलिस पदाधिकारी आदि रहेंगे।

(ii) प्रखंड स्तर पर गठित समिति :- प्रखण्ड स्तर पर प्रमुख, सभी पंचायत समिति के सदस्य, सभी मुखिया, सभी वार्ड सदस्य, जीविका के सी0एल0जी0, आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका, टोला सेवक, किसान सलाहकार, तालिमी मरकज के कर्मी, आशा कार्यकर्त्ता,

पी0डी0एस0 डीलर, सभी प्रधानाध्यापक (सरकारी एवं निजी) के साथ बैठक करेंगे। उक्त बैठक में प्रखण्ड स्तरीय सभी विभाग के नियमित एवं संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। **यह बैठक मानव श्रृंखला के तैयारी के दृष्टिकोण से प्रथम बैठक दिनांक 08-01-2017 तक निश्चित रूप से आयोजित कर लें एवं सूची के निर्माण के उपरान्त पुनः अगली बैठक दिनांक 15-01-2017 तक आयोजित कर लें। इस बैठक का पर्यवेक्षण संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी करेंगे।**

प्रखण्ड स्तर पर गठित की जाने वाली समिति में प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष भी सदस्य रहेंगे। साथ ही प्र0वि0पदा0 /अं0अ0 प्रखंड स्तर के समिति के नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि मानव श्रृंखला के सफल संचालन हेतु वे अपने अधीनस्थ किसी भी विभाग के पदाधिकारी/ कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकते है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रखंड स्तर पर सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक करने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

(iii) अनुमण्डल स्तर पर गठित समिति :- अनुमंडल स्तर पर गठित की जाने वाली समिति अनुमंडलीय स्तर के पदाधिकारी सदस्य होगें, जिसके नोडल पदाधिकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी होंगे।

(iv) जिला स्तरीय समिति :- जिला संचालन समिति के अलावा जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का निदेश दिया गया, जिसके नोडल पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधेपुरा होंगे। **जिला स्तर पर पुनः अगली समीक्षात्मक बैठक दिनांक 09-01-2017 को एवं अंतिम बैठक दिनांक 16-01-2017 को 04:00 बजे अप0 में समाहरणालय सभाकक्ष, मधेपुरा में आयोजित की जाएगी।**

(4) व्यक्तियों की सूची :-

मानव श्रृंखला में जो व्यक्ति भाग लेगा, उसकी सूची हर एक किलोमीटर के हिसाब से बनाने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को दिया गया। स्थानीय स्तर पर सूची टोला सेवक /आंगनवाड़ी सेविका आदि के द्वारा बनाया जाएगा।

(5) मानव श्रृंखला हेतु रूट :-

(क) राज्य द्वारा निर्धारित रूट :- भागलपुर जिला के खलिफा टोला से मधेपुरा जिला के चौसा-पुरैनी-उदाकिशुनगंज-ग्वालपाड़ा होते मधेपुरा तथा मधेपुरा से सिंहेश्वर-गम्हरिया होते हुए सुपौल एवं मधेपुरा से मठाही-सबैला होते हुए सहरसा निर्धारित है।

(ख) जिला द्वारा निर्धारित आंतरिक रूट :- मुख्य मानव श्रृंखला रूट के अतिरिक्त मानव श्रृंखला रूट का चयन किया गया, जो इस प्रकार है -

मधेपुरा प्रखण्ड के मधुबन चौक होते हुए तुरकाही चौक-गम्हरिया चौक-पोखरिया टोला-बी0पी0मंडल स्मारक - कौशलपुर नहर होते हुए मुरलीगंज के नाढ़ी पोखरिया टोला- नाढ़ी कोढ़ली-बेलो- जीतापुर- चामगढ़- गम्हरिया- बघिनियाँ संथाली टोला- बघिनियाँ- दीनापट्टी- गोढ़ियारी टोला रामपुर- रामपुर- मीरगंज- जोरगामा- नगर पंचायत, मुरलीगंज के वार्ड नं0- 08, वार्ड नं0- 09 एवं वार्ड नं0- 15 होते हुए दिग्घी- भेलाही- कोल्हायपट्टी- रजनी गोंठ- रजनी गोंठ के वार्ड नं0-13 होते हुए प्रसादी चौक रजनी होते हुए बिहारीगंज प्रखण्ड के बभनगामा- लक्ष्मीपुर-कुस्थन- बिहारीगंज- गाँधी चौक होते हुए उदाकिशुनगंज प्रखण्ड के रामखोड़ा पंचायत का मजरहटपट्टी ग्राम वार्ड नं0-06 होते हुए उदाकिशुनगंज ग्राम के वार्ड नं0-10, 11, 12, 13 होते हुए उदाकिशुनगंज में मुख्य मानव श्रृंखला तक।

(6) सांस्कृतिक कार्यक्रम :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंडली की सूची, जिसमें मंडली का नाम, उसके सदस्य का नाम एवं उसका मोबाईल नं0 आदि भी अंकित हो बनाने का निदेश दिया गया। बताया गया कि उक्त मंडली को हर एक किलोमीटर पर बैठाया जाय तथा मंडली को बैठाने हेतु वैसे स्थान का चयन किया जाय जहाँ फाका हो, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलने के पश्चात् वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जिससे लोगों को मानव श्रृंखला में लगाया जा सके।

(7) प्रचार-प्रसार :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मानव श्रृंखला के प्रचार-प्रसार के लिए पम्पलेट आदि लगवाने तथा समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति देने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए के-यान, प्रभात फेरी, साईकिल एवं मोटर साईकिल रैली आदि निकालने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों /अंचलाधिकारियों को दिया गया।

(8) विद्यालयों की सूची :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आर0एम0एस0ए0, मधेपुरा को मानव श्रृंखला वाले रूट में पड़ने वाले सरकारी विद्यालय जो वर्ग-6 से वर्ग-12 तक के हो, की सूची संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी तुरंत संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(9) पेयजल की व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले सदस्यों को पानी पिलाने हेतु व्यवस्था करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को दिया गया।

(10) अंतर जिला समन्वय :-

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला वाले रूट में सहरसा जिला का कुछ भाग पड़ता है। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में बताया गया कि भागलपुर, पूर्णियाॅ, सहरसा एवं सुपौल के जिलाधिकारी से बात किया जाएगा। साथ ही भागलपुर-सहरसा-सुपौल-पूर्णियाॅ जिला के निकटतम प्रखंड, जो मधेपुरा जिला के सीमा से सटा हो, के प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर समन्वय बनाने का निदेश संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

(11) यातायात व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 20 जनवरी की रात से ही बड़ी गाड़ी यथा- बस, ट्क, टेम्पो, जीप आदि का परिचालन नहीं होगा। इस संबंध में मधेपुरा जिला से सटे जिला के जिलाधिकारी के साथ एक बैठक कर विचार-विमर्श किया जाएगा।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 21 जनवरी को मानव श्रृंखला वाले रूट में केवल एम्बुलेंस एवं प्रशासनिक गाड़ियों का ही परिचालन होगा।

(12) चिकित्सा व्यवस्था :-

मानव श्रृंखला वाले रूट में एम्बुलेंस आदि सहित मेडिकल टीम लगाने हेतु सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेशित करने हेतु सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया।

(13) व्हाट्सअप ग्रुप :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का अलग-अलग व्हाट्सअप ग्रुप बनाने, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी ही ग्रुप एडमिन होगें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी अपने स्तर से इस ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते है, का निदेश दिया गया।

(14) सुरक्षा व्यवस्था :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस संबंध में सभी थानाध्यक्ष के साथ दिनांक 06-01-2017 को बैठक की जाएगी, जिसमें सुरक्षा के बेहतर तालमेल के संबंध एवं अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बताया गया कि यातायात नियंत्रण हेतु दूसरे जिला से मधेपुरा आने वाले मुख्य सड़कों पर बैरियर लगाया जाय। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि चौक-चौराहे से 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले बैरियर लगाया जाएगा, ताकि वाहनों के प्रवेश निषेध करने पर नियंत्रण किया जा सके एवं जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

(15) प्रतिनियुक्ति :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पुलिस बल /दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति हेतु स्थल को चिन्हित करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को दिया गया।

(16) अन्यान्य :-

- जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज को वार्ड सदस्यों की समिति बनाने को कहा गया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज के साथ समन्वय कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मानव श्रृंखला के आयोजन में व्यय होने वाले अनुमानित राशि की अधियाचना देने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

4/1/17	4.1.17	4/1/17
प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।	जिलाधिकारी, मधेपुरा।

04/01/2017

ज्ञापांक 23 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 04-01-2017

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, भागलपुर, पूर्णियाँ, सुपौल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ सिविल सर्जन, मधेपुरा/ अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न /सारक्षता /आर0एम0एस0ए0 /सर्वशिक्षा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा /सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा जिला /सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

04/01/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा

4.1.17

पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा।

4/1/17

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

04/01/17